

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं0सं0-02/कर माफी-12/2015 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-140, दिनांक-22.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 द्वारा डाक विभाग के एक वाहन TATA SUMO GOLD CX के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	Type of New Vehicle	Chassis Number	Engine Number	Period of Road Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	TATA SUMO GOLD CX	MAT446064HNJ05306	3.0CR401JSY631191	One Time Tax	Tax	27,915.00
					Fine	2,233.00
					RSF	3,987.00
					RSF Fine	399.00
TOTAL						34,534.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के उपर्युक्त पत्रांक-140, दिनांक-22.02.2018 द्वारा की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में डाक विभाग के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 34,534.00 (चौतीस हजार पाँच सौ चौतीस रुपये) में से ₹ 30,148.00 (तीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-12/2015 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर/Manager, GPO Compound, O/O- Mail Motor Service, Patna- 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-12/2015 परि0

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
सं0सं0-02/कर माफी-12/2015 परि0
आदेश

पटना, दिनांक-

जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-140, दिनांक-22.02.2018 के साथ प्रेषित कर माफी अभिलेख संख्या-01/2017-18 द्वारा डाक विभाग के एक वाहन TATA SUMO GOLD CX के कर माफी की अनुशंसा की गयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. No	Type of New Vehicle	Chassis Number	Engine Number	Period of Road Tax	Total Amount (in Rs.)	
1	TATA SUMO GOLD CX	MAT446064HNP05306	3.0CR401JSY631191	One Time Tax	Tax	27,915.00
					Fine	2,233.00
					RSF	3,987.00
					RSF Fine	399.00
TOTAL						34,534.00

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-15 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यायोजित है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर के उपर्युक्त पत्रांक-140, दिनांक-22.02.2018 द्वारा की गयी अनुशंसा एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-910, दिनांक-23.02.2004 के आलोक में डाक विभाग के उपर्युक्त वाहन के संगणित कुल कर ₹ 34,534.00 (चौतीस हजार पाँच सौ चौतीस रुपये) में से ₹ 30,148.00 (तीस हजार एक सौ अड़तालीस रुपये मात्र) की विमुक्ति दी जाती है, क्योंकि बिहार मोटरवाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम 11, 2016) में सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड से माफी का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण सड़क सुरक्षा उपकरण/अर्थदण्ड की राशि देय होगा। यह कर माफी इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि गणना के पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सचिव, परिवहन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

परिवहन विभाग, बिहार पटना।

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक :- 02/कर माफी-12/2015 परि0 2338 पटना, दिनांक- 4/4/18
प्रतिलिपि :- जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर/Manager, GPO Compound, O/O- Mail Motor Service, Patna- 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।